DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS 12 JANUARY, 2024 | NEW DELHI ---DATED----------

'THERE SHOULD BE NO ENCROACHMENT'

HC asks govt to ensure no encroachment in Asola Sanctuary & Central Ridge forest

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court on Thursday asked the Delhi government to inform it about whether any encroachment has taken place in Asola Bhatti Wildlife Sanctuary and Central Ridge forest .

The high court also directed the city government to ensure that forest land is free from any encroachment, and place before it any stay orders passed by courts with respect to alleged illegal colonies constructed in forest area. "It can't be that 700 illegal colonies are operating from the forest without any stay order. There should be no encroachment. The land should be encroachment free," a bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet PS Arora said.

The bench asked the Delhi government to file a short affidavit explicitly stating that there is no encroachment in Asola Bhatti Wildlife Sanctuary and the Central Ridge.

The high court was hearing a batch of PILs on the problem of poor ambient air quality in Delhi, an issue which it has also taken up on its own (suo motu) and appointed an amicus curiae (friend of the court) to assist it in the matter.

Senior advocate Kailash Vasudev, the amicus curiae in the case, submitted there exist around 1,770 unauthorised colonies in the national capital which have been sought to be regularised. Out of these almost 700 are on common village lands and in forest areas.

The high court had earlier directed the Delhi government, Municipal Corporation of Delhi (MCD) and the Delhi Development Authority (DDA) to explain how clearances were granted for new constructions in the Southern Ridge forest area where a multi-storey housing project has already come up.

The amicus curiae told the court about alleged illegal construction activities being carried out in Chattarpur within the Southern Ridge.

The high court had observed that the national capital was losing its forest cover "drastically" and "injustice" was being done to nature.

The amicus had earlier also shown certain photographs to the court to highlight the loss of forest cover, especially in areas around the Asola sanctuary, airport and Rashtrapati Bhavan.

While giving his suggestions for increasing the forest cover in the city, Vasudev had said the government should clear the identified areas in the Ridge of encroachments.

dainikbhaskar.com

पेड़ों की कटाई को लेकर एनजीटी ने भेजा नोटिस

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई को लेकर रक्षा मंत्रालय, डीडीए और वन विभाग को नोटिस जारी किया है। रक्षा मंत्रालय के सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और डीडीए उपाध्यक्ष को सेंट्रल रिज पर 8.7 हेक्टेयर भूमि को साफ करते समय पेड़ काटने से संबंधित मामले में नोटिस जारी किया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी विभागों को वृक्षों की कटाई के लिए एनजीटी के नोटिस को स्वीकार करते हुए वकील ने जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024

जंगलों में हो रहे अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश

असोला भाटी अभयारण्य और सेंट्रल रिज को अतिक्रमण से मुक्त रखें

- वायु प्रदूषण का स्वतः संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
- अवैध कालोनियों पर रोक के संबंध में अदालतों के आदेश की प्रति पेश करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वन भूमि किसी भी अतिक्रमण से मुक्त हो ● जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जंगलों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य और सेंट्रल रिज जंगल में कोई अतिक्रमण हुआ है। अदालत ने साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वन भूमि किसी भी अतिक्रमण से मुक्त हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सवाल उठाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि 700 अवैध कालोनियां बिना किसी स्थगन आदेश के जंगल में बस गई हों।

इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने वन क्षेत्र में निर्मित कथित अवैध कालोनियों पर पूर्व में लगाई गई रोक के संबंध में अदालतों द्वारा पारित आदेश की प्रति पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने साथ ही दिल्ली सरकार से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य और सेंट्रल रिज में कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी व आदेश वायु गुणवत्ता की समस्या का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

इस मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव को न्याय मित्र नियुक्त किया था। वासुदेव ने अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1,770 अनधिकृत कालोनियां मौजूद हैं। इन कालोनियों को नियमित करने की मांग की गई है। इनमें से लगभग 700 कालोनियां गांव की सामान्य भूमि और वन क्षेत्रों में हैं।

तस्वीरें भी पेश की थीं

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए को यह बताने का निर्देश दिया था कि दक्षिणी रिज वन क्षेत्र में नए निर्माण के लिए मंजूरी कैसे दी गई। न्याय मित्र ने अदालत को बताया था कि दक्षिणी रिज के भीतर छतरपुर में अवैध निर्माण गतिविधियां जारी हैं। साथ ही उन्होंने असोला अभयारण्य, हवाई अड्डे और राष्ट्रपति भवन के आसपास के क्षेत्रों में नुकसान को दिखाने वाली कुछ तस्वीरें भी पेश की थीं।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 12 जनवरी 2024

डीडीए की ज़मीन से मिट्टी चोरी

■ एनबीटी न्यूज, बख्तावरपुर : आउटर दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में डीडीए की खाली जमीन और ग्रामसभा की जमीन पर मिट्टी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। रात के अंधेरे में दर्जनों डंपर मिट्टी चोरी कर रहे हैं। डीडीए ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। जानकारी के अनुसार बख्तावरपुर ताजपुर रोड पर मौजूद ग्रामसभा की एक जमीन को डीडीए ने टेकओवर किया हुआ है। इन खाली प्लॉट से मिट्टी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। डीडीए के एनएमडी-1 के एजीक्यूटिव इंजीनियर ने अलीपुर थाने में मिट्टी चोरी की शिकायत दी है।

डीडीए ने पुलिस में की शिकायत, दर्जनों डंपर मिट्टी चोरी कर रहे

पेड़ों से छिपीं स्ट्रीट लाइटें

■ एनबीटी न्यूज, दिलशाद गार्डन: पुराने व काफी बड़े पेड़ों की छंटाई नहीं होने से डीडीए मार्केट के 'ए' ब्लॉक के बड़े हिस्से में लंबे समय से डार्क स्पॉट बना हुआ है। एनबीटी सुरक्षा कवच, जीटीबी एनकलेव से जुड़े अरुण शर्मा ने बताया कि पेड़ों की टहनियों में कई स्ट्रीट लाइटें छुप गई हैं। मार्केट के गेट पर अंधेरा रहता है। मार्केट के दुकानदार सुनील शर्मा ने बताया कि आवासीय कॉलोनी के गेट का भी रास्ता मार्केट से होकर जाता है। इस कारण लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 12 जनवरी 2024

रीडिवेलपमेंट के लिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के पास हैं तीन विकल्प

मास्टर प्लान 2041 में भी कई प्रावधान

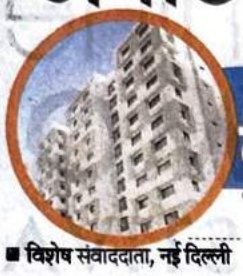

NBT कायापलट

घर वही, सूरत नई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में पिछले कुछ सालों से रीडिवेलपमेंट की मांग जोर पकड़ रही है। खस्ताहाल डीडीए के पुराने फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को उम्मीदें हैं कि रीडिवेलपमेंट का प्लान उसी तर्ज पर आगे बढ़ सकता है जिस तरह से मुखर्जी नगर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की प्लानिंग हो रही है।

डीडीए व एक्सपर्ट्स के अनुसार सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट रीडिवेलपमेंट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इससे दोबारा बनने की दिशा रीडिवेलपमेंट प्लान के लिए अहम है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में अलॉटमेंट के कुछ सालों बाद ही दरारें आने लगी थी। आईआईटी दिल्ली ने सर्वे के बाद बताया कि यह रहने लायक नहीं है। इसके बाद एलजी वी के सक्सेना ने डीडीए के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए इसे तोड़कर नए सिरे से दोबारा बनाने के निर्देश दिए। डीडीए ने यहां रहने वाले लोगों को तीन विकल्प दिए। इन्हीं तीन विकल्पों को एक्सपर्ट व लोग रीडिवेलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा मान रहे हैं।

क्या है डीडीए के तीन विकल्प

बायबैक - इस ऑप्शन में लोगों को फ्लैट की पूरी कीमत वापस मिलने के साथ पेमेंट डेट से अब तक 10.6 प्रतिशत के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा।

स्वैप द फ्लैट - इस विकल्प में लोग अपने फ्लैट के बदले उसी साइज का डीडीए फ्लैट किसी अन्य जगह पर ले सकते हैं।

उसी जगह नई सोसायटी - तीसरे विकल्प में सिग्नेचर व्यू को तोड़कर उसी जगह पर नई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है। निर्माण के दौरान यहां रहने वाले लोगों को डीडीए किराये का भुगतान करेगा। निर्माणस्थल पर एक्स्ट्रा फ्लैट्स बनाकर नुकसान की भरपाई होगी।

विकल्पों में ये हैं पेंच...

आर्किटेक्ट और रिसर्चर सुमंत शर्मा ने बताया कि हाउसिंग सोसायटी को रीडिवेलप करने की बात सभी लोगों ने नहीं मानी तो क्या होगा? मामला कोर्ट में चला गया तो लंबा खिंच सकता है? किराया किस हिसाब से दिया जाएगा? फ्लैट्स समय पर पूरे नहीं हुए तो किराया मिलेगा या नहीं? स्वैप विकल्प भी बहुत अधिक आकर्षक नहीं है। फ्लैट लेते समय लोग कई चीजें आसपास की सुविधाओं, ऑफिस से दूरी, कनेक्टिविटी, बच्चे के स्कूल आदि को ध्यान में रखते हैं। डीडीए लोगों को कहां फ्लैट देगा और वह लोगों को सूट करेगा या नहीं यह सवाल लोगों को परेशान करेगा। तीसरा विकल्प बायबैक लोगों को अटरेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें मिलने वाला 10.6 प्रतिशत का इंटरेस्ट काफी कम है।

'डीडीए को बनानी चाहिए पॉलिसी'

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए.के. जैन ने बताया कि रीडिवेलपमेंट को लेकर नियम है। डीडीए को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। पुराने हो चुके फ्लैट्स की आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर यह पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी ऐसी हो कि लोगों पर कम से कम बोझ पड़े और डीडीए को भी नुकसान न हो। इसके लिए अन्य राज्यों की पॉलिसी खासकर महाराष्ट्र की पॉलिसी की स्टडी की जा सकती है। लोगों को डीडीए उसी जगह को ध्यान में रखकर किराया दे। इस बात की गारंटी दे कि प्रोजेक्ट अपने तय समय में पूरा होगा। रीडिवेलपमेंट प्रोजक्ट भी रेरा के अधीन रजिस्टर्ड करवाएं।

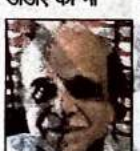

डीडीए के अधिकारी ने बताया कि 30 साल पुराने डीडीए के फ्लैट्स को रीडिवेलपमेंट करने की प्लानिंग की जा रही है। आरडब्ल्यूए को साथ लेकर इसकी पॉलिसी बनेगी। मास्टर प्लान-2021 के अलावा ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में भी इसका प्रावधान रखा गया है। इसमें डीडीए निजी बिल्डरों को भी साथ लेगी। अतिरिक्त FAR पर भी विचार चल रहा है। लेकिन इसके लिए एक तय फीस भी होगी।

> रीडिवेलपमेंट की योजना बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि दिल्ली की अधिकांश आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है। देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली में आते हैं डीडीए या अन्य किसी सरकारी एजेंसी ने उनके निवास के बारे में नहीं सोचा।
> – हरवीर सिंह टोकस

> डीडीए के 50 वर्ष पुराने सभी फ्लैट्स जर्जर हालत में हैं। लोग अपने फ्लैट्स की समय समय पर मरम्मत करवा कर तसल्ली पा लेते हैं लेकिन असलियत ये है कि ये फ्लैट्स अंदर ही अंदर जर्जर हैं। उपाय यही है कि सरकार या बिल्डर इन फ्लैट्स को 8-10 मंजिल के बनाए।
> – जितेंद्र अहलावत

> एनबीटी में छपे आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी और जर्जर हो चुकी ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज और फ्लैट्स के रीडिवेलपमेंट के लिए एक मजबूत पॉलिसी लाने की सख्त जरूरत है। इस पॉलिसी में रीडिवेलपमेंट के लिए जरूरी सभी मुद्दों पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। – मनीष सुनेजा

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्टस की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।